



Reader

32

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उदयराम बनाम गिरधारी वगैरा

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज
प्रार्थना पत्र - 212 जा0दी0 संख्या 352 वर्ष 2022

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तारीख में जारी हुए

उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का
केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 02-09-2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा
चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 958/0.10,
959/0.28, 960/0.08, 961/0.15, 964/0.20, 965/0.82, 978/0.35, 979/0.16,
980/0.25, 981/0.08, 982/0.05, 983/0.04, 984/0.28 हैक्ट वांके ग्राम तिजारा
तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की
यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावे? कोई
उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जयें अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे।
वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने
सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलवी पत्रावली
वाद के साथ पेश हों।

Om
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

02-09-22 पत्रावली आज पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उप
प्रार्थी अधिवक्ता हास 500 रुसदि पेश करने पर हुक्म
में जारी रूग्गान आदेश (अ.2012) की तारीख पेशी तक
वकील पेश हों पत्रावली मूलाव के साथ दिनांक 08/09/22
का पेश हो *Om*

08-09-22 पत्रावली आज पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उप
अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र
अन्वति चार 212 रि.अ.ट को नोट प्रेस किया। प्रार्थना
पत्र अन्वति 312 नोट प्रेस में रजिस्ट्रिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल कुमार होकर वाद तक मील संलग्न मूलाव हो। *Om*

NOT PRESS
31/9/22